राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1472/2014/पाली

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली। .....अपीलार्थी

बनाम

आसूराम पुत्र घेवरराम, वाहन चालक/मालप्रभारी,
मार्फत मैसर्स मणिधारी इम्पेक्स,
36, गुजराती कटला, पाली मारवाड़। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 05/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 018/आरवेट/पाली/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) पारित आदेश दिनांक 24.10.2013 जिसमें धारा 76(6) के तहत शास्ति राशि रूपये 1,60,134/– आरोपित की गई थी, को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.10.2013 को वाहन संख्या आर.जे.19 जीबी 7820 को पूर्णा मुम्बई से जोधपुर जाते वक्त सशक्त अधिकारी द्वारा चैक किया गया। जांच में पाया गया कि वाहन में अन्य माल के अतिरिक्त citric Acid वजन 6500 किग्रा भी परिवहनित किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में मैसर्स वी.आर.एम. कैमीकल्स प्रा0लि0, मुम्बई का बिल संख्यांक 001749/14.10.2013 प्रस्तुत किया जिसमें उक्त माल Against "F" Form विक्रयार्थ भेजे जाने का उल्लेख होने के कारण प्रचलित प्रावधानों के अनुसार चालान/बिल, बिल्टी के साथ वांछित घोषणा पत्र वेट 47 साथ में होना अनिवार्य था, जो वक्त जांच नहीं पाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी बाजवूद सूचना अनुपस्थित है तथापि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है।

लगातार.....2

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ निर्दिष्ट घोषणा पत्र वैट 47 साथ में नहीं होने के कारण शास्ति का आरोपण किया गया। यद्यपि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 22.10.2013 में यह उल्लिखित किया गया कि उसके द्वारा फॉर्म वैट 47 क्रमांक 0207079 का पार्ट–ए भरा जाकर प्रेषक व्यवहारी मैसर्स वी.आर.एम. कैमीकल्स प्रा0लि0 मुम्बई को दिनांक 10.10.2013 को प्रेषित कर दिया गया था, जो उसे दिनांक 12.10.2013 को प्राप्त हो गया था। आगे यह भी कथन किया गया कि प्रेषक व्यवहारी द्वारा उक्त फॉर्म का पार्ट–बी पूर्ण भरा जाकर इसे दिनांक 14.10.2013 को ही ट्रांसपोर्टर मैसर्स पवन फ्रेट कैरियर को दे दिया था परन्तु ट्रांसपोर्टर के कर्मचारी की भूलवश वह घोषणा पत्र उसके मुम्बई कार्यालय में ही रह गया जिसे कि प्रेषक व्यवहारी ने ट्रांसपोर्ट कम्पनी से प्राप्त कर प्रेषिती व्यवहारी को भिजवाया है, जो प्रत्युत्तर के साथ में प्रस्तुत किया गया है।

6. व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर के साथ में प्रेषक व्यवहारी मैसर्स वी.आर.एम. कैमीकल्स प्रा0लि0 का एक पत्र भी पेश किया गया है, जिसमें भी पूर्वोक्त अभिकथन को ही दोहराया गया है। परन्तु यहां उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि यदि घोषणा पत्र वैट 47 वास्तव में उसे प्राप्त हो गया था तो वह सावधानी के तौर पर इसके संख्यांक का उल्लेख उसके द्वारा जारी इनवॉइस में कर सकता था, परन्तु इस इनवॉइस पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया था।

7. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वांछित घोषणा पत्र तथाकथित रूप से मुम्बई भेजे जाने का कोई प्रमाण प्रत्युत्तर के साथ में पेश नहीं किया था। इसके अतिरिक्त प्रेषक एवं प्रेषिती ने घोषणा पत्र साथ में नहीं होने की पूरी गलती ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बताई है, परन्तु अपने कथन के समर्थन में ट्रांसपोर्टर की ओर से ऐसा कोई पत्र या शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा किये गये अभिकथन पुख्ता प्रमाण के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. द्वितीयतः, यहां एक और बिन्दु उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच तिथी दिनांक 17.10.2013 को ही आयातकर्ता फर्म मैसर्स मणिधारी इम्पैक्स, पाली के मैनेजर श्री मनोहर चन्द जैन के भी बयान लिये गये थे, जिसमें भी ऐसा कोई तथ्य उल्लिखित नहीं है कि फर्म द्वारा घोषणा पत्र वैट 47 मुम्बई स्थित फर्म को पूर्व में ही भेज दिया गया था। अतः व्यवहारी का यह कथन कि उसके द्वारा प्रेषक फर्म को घोषणा पत्र दिनांक 10.10.2013 को ही भेज दिया गया था एवं जो कि उसे दिनांक 12.10.2013 को प्राप्त भी हो गया था, अप्रामाणिक, साक्ष्यों से असमर्थित एवं पश्च–विचारित (after thought) पाया जाता है।

9. विद्वान अपीलीय प्राधिकारी ने व्यवहारी द्वारा नोटिस के प्रत्युत्तर के साथ में सक्षम अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र वैट 47 प्रस्तुत करने पर इसे मैसर्स डी.पी.मैटल्स के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धरित करते हुए शास्ति आरोपण को अविधिक एवं अनुचित माना है। परन्तु उपर्युक्त वर्णित विवेचना एवं तथ्यों के परीक्षण पर ऐसा कोई तथ्य

लगातार.....3

नहीं पाया गया है कि किसी युक्तियुक्त कारण से माल के साथ घोषणा पत्र वहनित नहीं किया जा सका हो। अतः सन्दर्भित निर्णय का अवलम्बन प्रत्यर्थी व्यवहारी को उपलब्ध नहीं हो सकता है।

10. इसके अतिरिक्त विद्वान अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों का परीक्षण किये बिना ही एवं अपीलार्थी व्यवहारी की दलीलों को बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के ही मानकर अपील स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यों की भूल की है। अपीलीय प्राधिकारी को अपीलकर्ता व्यवहारी का कोई भी अभिकथन मात्र फेस वेल्यू पर ही स्वीकार नहीं करना चाहिये था, अपितु अभिकथन के समर्थन में सहायक साक्ष्य प्राप्त कर उनका भी परीक्षण कर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिये था। अतः अपीलीय आदेश तथ्यों एवं विधिक कसौटी पर त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण अपास्त किया जाता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा शास्ति आरोपण विधिसम्मत होने के कारण सशक्त अधिकारी का आदेश रेस्टोर किया जाता है।

12. आदेश प्रसारित गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य